न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 23/2016 (2016/00018)

अपीलान्ट्स

जयरूपराम पुत्र भूराराम के कायममुकाम :–

1. श्रीमती सारा देवी पत्नी स्व0 जयरूपराम
2. हीराराम पुत्र स्व0 जयरूपराम
3. जालाराम पुत्र स्व0 जयरूपराम
4. मेघाराम पुत्र स्व0 जयरूपराम
   जातियान जाट, निवासीगण जाखड़ो की ढाणी, नारवा खिचियान्, तहसील व जिला जोधपुर।
5. धुड़ी देवी पत्नी खेराजराम पुत्री स्व0 जयरूपराम, जाति जाट, निवासी ग्राम घेवड़ा, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।
6. श्रीमती जमना देवी पत्नी भूराराम पुत्री स्व0 जयरूपराम, जाति जाट, निवासी ग्राम पोपावास, तहसील व जिला जोधपुर।
7. नैनीदेवी पत्नी बाबूराम पुत्री स्व0 जयरूपराम, जाति जाट, निवासी फलासिया, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 आदेश दिनांक 25.10.2011 जो प्रकरण संख्या 14/2010 सरकार बनाम जयरूपराम में तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित किया गया।

———

उपस्थिति :–

अधिवक्ता श्री प्रकाश चौधरी (अपीलार्थीपक्ष)।

–: आदेश :– दिनांक :– **17.02.2023**

अपीलार्थी ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 आदेश दिनांक 25.10.2011 जो प्रकरण संख्या 14/2010 सरकार बनाम जयरूपराम में तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित किया गया, के विरूद्ध पेश की है।

अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा यह अपील प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया। प्रकरण से संबंधित मूल रेकर्ड तहसीलदार जोधपुर से तलब किया गया। तहसीलदार जोधपुर ने पत्र क्रमांक 1215 दिनांक 17.05.2017 के माध्यम से सूचित कराया कि न्यायालय द्वारा नायब तहसीलदार जोधपुर के न्यायालय के प्रकरण संख्या 14/2010 निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.03.04 13:52:28 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 05.10.2010 सरकार बनाम जयरूपराम की मूल पत्रावली सन् 2012 से न्यायालय द्वारा चाही जा रही है। उक्त पत्रावली मनपतराम चौधरी कनिष्ठ लिपिक के पास थी जिसके द्वारा मूल पत्रावली राजस्व लिपिक को चार्ज में नहीं दी गई तथा मनपतराम चौधरी सेवानिवृत हो चुके है उनको उक्त पत्रावली उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय द्वारा पत्र जारी किये गए परन्तु मनपत चौधरी न तो कार्यालय में उपस्थित हुए, न ही पत्रावली उपलब्ध करवाई गई और न ही इस संबंध में कोई रिपोर्ट/सूचना प्रस्तुत की गई। प्रकरण में अपीलार्थीपक्ष अभिभाषक की बहस दिनांक 29.01.2023 को सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु रखी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री प्रकाश चौधरी ने बहस में बतलाया कि पटवारी हल्का नारवा ने रिपोर्ट में बतलाया कि अपीलार्थीगण ने मौजा नारवा में खसरा नं0 04 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा भूमि पर पक्के मकान व दीवार बनाकर अतिक्रमण किया है। प्रकरण धारा 91 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार जोधपुर द्वारा दर्ज रजिस्टर कर अपीलार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाब पेश किया। अपीलार्थी ने जवाब में बतलाया कि उसके मकान का निर्माण बहुत पुराना है जिसके फोटोग्राफ्स भी जवाब के साथ पेश किए, जिससे यह साबित होता है कि मकान पुराना है तथा अपीलार्थी पीढियों से वहीं पर निवास करते है, वर्तमान में किसी प्रकार का कोई नया अतिक्रमण या निर्माण नहीं किया गया है, मेरे अलावा आधा नारवा गांव उक्त जमीन पर बसा हुआ है। अधीनस्थन न्यायालय ने बिना कोई साक्ष्य सुनवाई किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.10.2011 को पारित कर दिया तथा अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए बेदखल किये जाने तथा जुर्माना वसूल किये जाने का आदेश पारित किया, जो निरस्त योग्य है।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने बहस में आगे बतलाया कि तहसीलदार ने पटवारी हल्का के कोई बयान पत्रावली पर नहीं लिए गए, इस प्रकार पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट विधि विरूद्ध होने से मानने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की रिपोर्ट भी मंगवाई गई जिसमें भू–अभिलेख निरीक्षक मण्डोर जोधपुर द्वारा रिपोर्ट में बतलाया गया कि मौके पर पक्के मकान बने हुए तथा पक्की चार दीवारी भी बनी हुई है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया, जो गैर कानूनी होने के कारण खारिज योग्य है।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने बहस के अन्त में बतलाया कि अपीलार्थी प्राथमिकता के तौर पर वादग्रस्त भूमि को अपने पक्ष में नियमन करवाने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि अपीलार्थी के पक्ष में नियमन की सिफारिश नहीं किये जाने का कोई कारण भी नहीं बतलाया। इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

हमने अपीलान्ट अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली के साथ अपील का गुणावगुण पर निर्णय करने से पूर्व धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलान्ट ने प्रार्थना–पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम में बतलाया कि अपीलार्थी बुजुर्ग होने के कारण तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:52:28 IST
Reason: SelfAttested

कानूनी पेचिदगियों की जानकारी नहीं होने के कारण समय पर अपील प्रस्तुत नहीं कर सका। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर या किसी उद्देश्य विशेष की प्राप्ति हेतु देरी नहीं की है, इस कारण अपील प्रस्तुत करने में हो देरी हुई है वो क्षमा योग्य होने से अपील अन्दर मियाद शुमार करावें। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम में अपील में हुई देरी का अपीलार्थी के पास न्यायोचित कारण होने तथा प्रत्यर्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं करने से प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा अपील का निस्तारण गुणावगुण पर इस प्रकार किया जा रहा है। अपीलार्थीगण के विरूद्ध जिस विवादित भूमि बाबत् राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही की गई है, उक्त भूमि पर अपीलार्थी का पक्का मकान व चार दीवारी बनी हुई। अपीलार्थी उक्त भूमि पर पीढीयों से निवास कर रहा है तथा अपीलार्थी ने बतलाया कि नारवा ग्राम के आधे से अधिक रहवासीय मकान सरकारी जमीन पर बने हुए है जो नियमन किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 22.09.2011 में अंकित है कि अप्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा वर्ष 1987 के दस्तावेज पेश किये गए, उन दस्तावेजों का विश्लेषण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में नहीं किया गया। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 14/2010 में पारित निर्णय दिनांक 25.10.2011 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार जोधपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच करके राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करे।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 17.02.2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:52:28 IST
Reason: SelfAttested